बिफोर माननिये जस्टिस सतपाल

मेहर्बन अन्द अनोथेर—*याचिकाकर्ताओं*

बनाम

पंजाब वक्फ बोर्ड और दूसरा,—*उत्तरदाताओं*

सी.आर. नं. 1997 का 2372

30 मार्च, 1998

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 14, नियम 2-प्रति निर्णय का मुद्दा- साक्ष्य की आवश्यकता वाला मुद्दा -क्या इन्हें प्रारंभिक मुद्दा माना जा सकता है।

आयोजित, आदेश 14 नियम 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि न्यायालय की राय है कि मामले या उसके हिस्से क केवल कानून के मुद्दे पर निपटाया जा सकता है तो वह उस मुद्दे पर पहले विचार कर सकता है यदि वह मुद्दा किसी भी क्षेत्राधिकार से संबंधित है न्यायालय या उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक। के संबंध में मुद्दा *बस इसीलिये* इसे प्रारंभिक मुद्दे क रूप में माना जा सकता है, भले ही इसमें पार्टियों द्वारा साक्ष्य का उत्पादन शामिल हो।

(परा 5)

आर.के. बत्तास, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुनीश जॉली के साथ, *याचिकाकर्ताओं के लिए*

हरकेश मनुजा, अधिवक्ता, एस सी कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष कपूर, अधिवक्ता *उत्तरदाताओं के लिए.*

निर्णय.

सतपाल जे.

(1) यह याचिका अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (एसडी), पानीपत द्वारा पारित 20 मार्च, 1997 के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है। इस आदेश के द्वारा विद्वान निचली अदालत ने प्रतिवादियों द्वारा वाद क्रमांक 2 को प्रारंभिक वाद मानने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया है। अंक क्रमांक 2 का आशय यह है कि "मुकदमा सिद्धांत द्वारा वर्जित है पुनर निर्णय *करें*"/ इस याचिका का नोटिस उत्तरदाताओं को जारी किया गया था।

(2) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील श्री बत्तास ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी वक्फ बोर्ड ने पहले 21 मार्च, 1972 को कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया था और उक्त मुकदमा खारिज कर दिया गया था *बजरिया* निर्णय और डिक्री दिनांक 13 नवंबर, 1972। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा दायर अपील को, हालांकि, निचली अपीलीय अदालत ने अनुमति दे दी थी– बजरिया निर्णय दिनांक 28 फरवरी, 1974 लेकिन याचिकाकर्ताओं और अन्य द्वारा दायर नियमित दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, बजरिया निर्णय दिनांक 25 जनवरी, 1983। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि वक्फ बोर्ड के पास कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था बजरिया निर्णय दिनांक 9 दिसंबर, 1985। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मुकदमा 25 अगस्त, 1989 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कब्जे की वसूली के लिए फिर से दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों की ओर से दायर लिखित बयान में, यह कहा गया है कि वर्तमान मुकदमा सिद्धांत द्वारा वर्जित था और इसी बिंदु पर अंक क्रमांक 2 तैयार किया गया है। विद्वान वकील ने दलील दी कि चूंकि पुर निर्णय कानून की एक याचिका में, इस मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में मानने के लिए विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन अनुरोध को 20 मार्च, 1997 के आदेश द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसे इस याचिका में लगाया गया है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश आदेश 14 नियम 2 के प्रावधानों और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत था। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा जताया पंजाब *राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (मिल्कफेड)* बनाम *एम एम मुंजाल* (1) *उग्गर सेन और अन्य* बनाम *मासु* 22 अप्रैल, 1997 को कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय *लक्ष्मी मैनी डेवी* बनाम *माणिक चंदर दास* (2).

(1) 1996 (एल)पी[.एल.आर. 181
(2) वायु। 1991 कलकत्ता 231

(3) हालाँकि, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कपूर ने प्रस्तुत किया कि पहले के मुकदमे में इस अदालत द्वारा यह माना गया था कि ट्रस्टियों की नियुक्ति तक, विवाद में संपत्ति संरक्षण और इस तरह निहित होगी। *वक्फ* बोर्ड में सुने *जाने का अधिकार* मुकदमा दायर करने के लिए. हालाँकि, उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में कानून में संशोधन किए जाने के बाद वक्फ बोर्ड मुकदमा दायर करने में सक्षम है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि पुनरीक्षण के आधारों के पैरा 5 में याचिकाकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसका प्रमाण है बस *इसलिये* कुछ साक्ष्य की आवश्यकता है और चूंकि उक्त मुद्दे का निर्णय पक्षों के साक्ष्य के बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील ने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा रखा *हरद्वारी लाई* बनाम*Pokhar Mai and others* (3) और रामकली *व अन्य* बनाम Sohan *Lai* (4).

(4) विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस मामले में विद्वान निचली अदालत ने मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माना है कि मुद्दा संख्या 2 मामले *का न्याय करो* सबूत प्राप्त किए बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता है और एक बार विद्वान ट्रायल कोर्ट ने कानून के अनुसार क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर लिया है, तो इस अदालत को धारा 115 सीपीसी के तहत अपने क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा रखा है सुरिंदर पाल *सिंह और अन्य बनाम पवनवीर कौर और अन्य* (5) और भारत *पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड* बनाम मैसर्स *सत प्रकाश अमर सिंह* (6).

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर गहन विचार किया है और आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है। पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले, आदेश 14 नियम 2 सीपीसी का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा जो निम्नानुसार है: -

आदेश 14 नियम 2

(6) इस बात के बावजूद कि किसी मामले का निपटारा प्रारंभिक मुद्दे पर किया जा सकता है, न्यायालय उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा।

(7) जहां एक ही मुकदमे में कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे उठते हैं, और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी हिस्से को केवल कानून के मुद्दे पर निपटाया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे पर विचार कर सकता है यदि वह मुद्दा संबंधित है-

(a) न्यायालय का क्षेत्राधिकार, या

(b)तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक,

और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझे, तो अन्य मुद्दों के निपटारे को उस मुद्दे के निर्धारित होन□ तक स्थगित कर सकता है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमे से निपट सकता है।

आदेश 14 नियम 2 से यह स्पष्ट है कि यदि न्यायालय की राय है कि मामले या उसके हिस्से को

केवल कानून के मुद्दे पर निपटाया जा सकता है तो वह उस मुद्दे पर पहले विचार कर सकता है यदि वह मुद्दा न्यायालय या बार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे के लिए। वर्तमान मुकदमे में बनाया गया मुद्दा संख्या 2 उप-नियम (2) (बी) के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसका प्रभाव यह है कि "क्या मुकदमा सिद्धांत द्वारा वर्जित ह□" *बस इसलिये?*" में *पांडुरंग धोर्डी चौगुले और अन्य* बनाम *मारुति हरि जाघव और अन्य* (7), सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने माना कि एक याचिका या *बस इसीलिये* यह कानून की एक दलील थी जो कार्यवाही की सुनवाई करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। मामले के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्निर्णय से संबंधित मुद्दे को आदेश 14 नियम 2(2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में माना जा सकता है, भले ही इसमें पार्टियों द्वारा साक्ष्य का उत्पादन शामिल हो। मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे इस मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय से पूर्ण समर्थन मिलता है *उग्गर सेन* (सुप्रा)।

(8) ऊपर दिये गये कारणों के लिए, उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 20 मार्च 1997 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया। नतीजतन, याचिकाकर्ता-प्रतिवादियों द्वारा मुद्दे नंबर 2 को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में मानने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किया गया आवेदन स्वीकार किया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जैस्मिन प्रीत कौर
पर्शिक्षु न्यायिक अधिकारी
सोनीपत, हरियाणा